XXXIX(a)BR(H)-11

कपूरीबाई विरूद्ध शासन

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग. 3482–तीन/13

I – अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9.7.14 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, अशोकनगर के प्रकरण कमांक के प्रकरण कमांक 2/अ–19/12–13 में पारित आदेश दिनांक 5–6–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।<br>2– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदिका द्वारा अपर सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत भूमि व्यवस्थापन के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन अपर सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण में प्रतिवेदन बुलाए गए । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात तथा आवेदिका को समक्ष में सुनने के उपरांत अभिलेख के आधार पर कलेक्टर ने यह पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि आबादी दर्ज है जिसका पूर्व में पट्टा निरपत पुत्र भूरा चमार को हुआ था, बाद में यह पट्टा स्वमेव निगरानी में निरस्त होकर भूमि शासन हक में अंकित की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें भविष्य में आबादी होने से प्रकरण में कोई विचार करना कलेक्टर ने संभव नहीं मानते हुए आवेदिका के आवेदन को निरस्त किया है । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए जिलाध्यक्ष का आदेश | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होता है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।<br><br>परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।<br><br>उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।<br><br>**( एम.के. सिंह )**<br>**सदस्य,**<br>**राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर** | |

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /13 निगरानी R 3482 III/13

दिनांक 17-9-13 को श्री एम.पी. भटनागर अभि० द्वारा प्रस्तुत।

17-9-13
A.S.O

श्रीमती कूरीबाई बेवा पत्नी स्व. श्री हल्कू राम अहिरवार, आयु 70 वर्ष, निवासी - ग्राम सेजी तहसील, शाढौरा, जिला - अशोकनगर म.प्र.
— निगरानीकर्ता

बनाम

म प्र शासन द्वारा कलेक्टर अशोक नगर जिला अशोक म.प्र. — रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 5.6.2013 प्रकरण क्रमांक : 2अ19 / 12-13 न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय अशोक नगर, म प्र के आदेश से दुखित होकर ।

M P Bhatnagar Adv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

माननीय न्यायालय

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

= = = = = = = = = = = =

(1) यह कि, विचारण न्यायालय ने आवेदिका द्वारा व्यवस्थापन हेतु आवेदनपत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि सर्वे क्रमांक 4 / 1 रकबा 0.836 पर लगभग 35 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। तथा इस सर्वे क्रमांक रकबा उपलब्ध है आवेदिका द्वारा बंजरभूमि को कृषि योग्य बनाया गया। एवम सर्वे क्रमांक 4 / 2 रकबा 1.000 हेक्टेयर पर आवेदिका का कब्जा है। तथा सर्वे क्रमांक 5 / 1 में 1.000 हेक्टेयर पर आवेदिका का कब्जा है। तथा समस्त भूमियों को कृषि योग्य बनाकर काश्तकारी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। एवम समस्त

COMMISSIONER
512
16-9-13